



प्रेस विज्ञप्ति
15/11/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बेंगलुरु के समक्ष मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक, सतीश कृष्ण सेल, कारवार विधायक के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। यह शिकायत जब्त किए गए लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में है जिससे सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

आरोपी सतीश सेल ने अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचा और माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों और वन विभाग द्वारा जारी जब्ती आदेशों की अवहेलना करते हुए बेलकेरी बंदरगाह परिसर में रखे गए जब्त लौह अयस्क को अवैध रूप से खरीदा। यह लौह अयस्क मेसर्स आशापुरा माइनकेम लिमिटेड, मेसर्स आईएलसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स स्वास्तिक स्टील (होस्पेट) प्राइवेट लिमिटेड से अवैध रूप से खरीदा गया था। लिमिटेड, मेसर्स श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स, मेसर्स श्री लाल महल लिमिटेड और मेसर्स पीजेएस ओवरसीज लिमिटेड द्वारा निर्मित, बेलकेरी बंदरगाह के बंदरगाह संरक्षक महेश जे. विलिये की मिलीभगत से, आरोपियों ने चीन के खरीदारों को निर्यात किया। आरोपियों के इस आपराधिक कृत्य से सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इसके अलावा, जांच से पता चला है कि मुख्य आरोपी व्यक्ति, सतीश कृष्ण सेल (मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक) ने जब्त लौह अयस्क की अवैध खरीद के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों को लगभग 46.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। उक्त जब्त लौह अयस्क को चीन में अंतिम खरीदारों को सीधे निर्यात करने के बजाय, उनकी अधोषित विदेशी इकाई, मेसर्स जेआई (हेबेई) आयरन एंड स्टील इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, हांगकांग (पूर्व में मेसर्स मल्लिकार्जुन शिपिंग (एचके) लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के माध्यम से निर्यात किया गया था, जिससे अपराध की आय (पीओसी) को प्रभावी ढंग से छुपाया और लूटा गया। इस तरह, आरोपी कंपनी, मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 27.07 करोड़ रुपये की पीओसी (लाभ) प्राप्त की, जबकि सतीश कृष्ण सेल ने अपनी विदेशी इकाई, मेसर्स जेआई (हेबेई) आयरन एंड स्टील इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से लगभग 2.09 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। जांच से यह भी पता चला है कि सतीश कृष्ण सेल ने अपनी विदेशी संस्था के माध्यम से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (हांगकांग) लिमिटेड और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (एशिया) लिमिटेड (आईसीबीसी बैंक), हांगकांग में कई विदेशी बैंक खाते खोले हुए थे।

इससे पहले, ईडी ने छापेमारी कर सतीश कृष्ण सेल को गिरफ्तार किया था और 1.68 करोड़ रुपये की नकदी, 6.75 किलोग्राम वजनी बुलियन और सोना (लगभग 6.58 करोड़ रुपये मूल्य) जब्त किया था और आरोपियों के बैंक खातों में पड़े 14.13 करोड़ रुपये के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था और 21 करोड़ रुपये मूल्य की 3 अचल संपत्तियों को भी कुर्क किया था। बाद में सतीश कृष्ण सेल को अंतरिम मेडिकल जमानत दी गई थी, जिसे माननीय विशेष न्यायालय ने 07.11.2025 को रद्द कर दिया था।

इसके अलावा, शेष पीओसी की पहचान करने और अन्य आरोपियों की संलिप्तता और भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है।